

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****आवेदन अंतर्गत/धारा 482 सं०. - 1483 वर्ष 2026**

आशीष गुप्ता

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रधान सचिव गृह लखनऊ के माध्यम से

और 2 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

आवेदनकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अजीत कुमार, श्रवण कुमार

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, कुलदीप कुमार, समर बहादुर

यादव

न्यायालय सं०. - 16**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज प्रस्तुत पूरक शपथ-पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। अधिवक्ता, श्री कुलदीप कुमार, ने विपक्षी सं०. 3 की ओर से वकालतनामा दाखिल करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और इसे रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।

दिनांक 18.02.2026 को, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

- “1. आवेदकों के अधिवक्ता तथा विद्वान एजीए को सुना।
2. पक्षों के अधिवक्ताओं का कहना है कि उनके बीच मामला सुलझ गया है और सुलहनामा संलग्नक सं०.3 के रूप में रिकॉर्ड पर है।
3. उक्त बयान के आलोक में, पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे सत्यापन हेतु समझौता-पत्र के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष 27.02.2026 को उपस्थित हो, जिसे

विचारण न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा और अगली तारीख तक इस न्यायालय को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी।

4. 16.3.2026 को, अवर न्यायालय की रिपोर्ट के साथ, सूचीबद्ध किया जाए।

5. यदि कोई, मूल समझौता विलेख है, तो आवेदकों के अधिवक्ताओं द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष इसके सत्यापन के लिए उचित आवेदन दाखिल करने पर, इसकी एक छायाप्रति रिकॉर्ड में रखते हुए इसे वापस कर दिया जाए।

5. अगली सुनवाई की तारीख तक, प्र०.सू०.रि०. सं०.154 वर्ष 2023, पी.एस. सम्मनपुर, जिला अम्बेडकरनगर के संबंध में आवेदकों के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।”

उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में, दिनांक 27.02.2026 की सत्यापन रिपोर्ट विचारण न्यायालय द्वारा भेजी गई है।

इसका अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट है कि दिनांक 12.02.2026 का समझौता-पत्र विधिवत सत्यापित किया गया है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए., विपक्षी सं०. 3 के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा रिकॉर्ड पर रखी सामग्री का अवलोकन किया।

प्रस्तुत आवेदन के द्वारा, आवेदकों ने पुलिस स्टेशन सम्मानपुर, जिला अंबेडकर नगर में धारा 376 भदसं और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धाराएँ 3/4 के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध सं०. 154 वर्ष 2023 से उत्पन्न आरोप पत्र सं०. 01 दिनांक 24.07.2023, साथ ही विद्वान अतिरिक्त व्यवहारिक न्यायाधीश (प्रवर खंड) / अति.मु.न्या.मजि. अंबेडकर नगर द्वारा दिनांक 08.08.2023 के आदेश के माध्यम से जारी किए गए समन आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि किसी मिथ्याबोध के कारण, आवेदकों के विरुद्ध यह प्र०.सू०.रि०. दर्ज की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि बाद में, दोनों पक्ष एक साथ बैठे और आपसी सहमति से अपने विवादों को सुलझा लिया, जिसे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

12.02.2026 को लिखित रूप में दर्ज कर लिया गया है। तत्पश्चात, आवेदकों ने आवेदन अंतर्गत/धारा 482 सं. 1483 वर्ष 2026 दाखिल किया, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 27.02.2026 के आदेश द्वारा विचारण न्यायालय को उक्त समझौता विलेख का सत्यापन करने का निर्देश दिया और उक्त निर्देश के अनुपालन में, दिनांक 27.02.2026 को समझौता विलेख का सत्यापन किया गया। उनका तर्क है कि अब पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है और उन्होंने अपना विवाद सुलझा लिया है। उनका निवेदन है कि इस मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही उत्पीड़न के समान होगी और, इसलिए, आवेदकों के विरुद्ध चल रही वर्तमान आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

विपक्षी सं०. 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के कथन का समर्थन किया है और निवेदन किया है कि पक्षों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है तथा विपक्षी सं०. 2 को कोई शिकायत नहीं है, अतः, आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता को उपर्युक्त प्रस्तुतियों पर कोई आपत्ति नहीं है।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथनों पर विचार करते हुए, मैं यह पाता हूँ कि पक्षों के बीच दिनांक 12.02.2026 को एक समझौता हुआ था, और उक्त समझौते का सत्यापन दिनांक 27.02.2026 को किया गया था और, अब, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के बयान के अनुसार, वे आवेदकों के विरुद्ध उपर्युक्त आपराधिक कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, चूंकि आवेदकों और विपक्षी पक्षों के बीच दिनांक 12.02.2026 को समझौता हो गया है, और अब कोई शिकायत बाकी नहीं रह गई है और, इस प्रकार, उपर्युक्त आपराधिक मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2003) 4 एससीसी 675; निखिल मर्चेंट बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2008) 9 एससीसी 677; मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य, (2008) 16 एससीसी 1; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य**

(2012) 10 एससीसी 303; और नरेंद्र सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एससीसी 466 मामलों में दिए गए निर्णयों के आलोक में रद्द किए जाने योग्य है।

तदनुसार, आवेदकों के विरुद्ध संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही पुलिस स्टेशन सम्मानपुर, जिला अंबेडकर नगर में धारा 376 भदसं और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धाराएँ 3/4 के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध सं०. 154 वर्ष 2023 से उत्पन्न आरोप पत्र सं०. 01 दिनांक 24.07.2023, साथ ही विद्वान अतिरिक्त व्यवहारिक न्यायाधीश (प्रवर खंड) / अति.मु.न्या.मजि. अंबेडकर नगर द्वारा दिनांक 08.08.2023 के आदेश के माध्यम से जारी किए गए समन आदेश को, एतद्वारा रद्द किया जाता है।

समझौता इस आदेश का भाग होगा।

तदनुसार आवेदन स्वीकार किया जाता है।

दाखिल दफ्तर किया जाय।

मार्च 30, 2026

मयंक

(न्यायाधीश श्री प्रकाश सिंह,)